तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/3/26	**सुगनाराम बनाम भीखाराम** पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अपीलांट द्वारा अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा प्रकरण संख्या 103/2021 निर्णय दिनांक 26–12–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा मूल दावा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर यह तथ्य प्रकट किए कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–12–2022 जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पारित किया गया था, से संबंधित मूल वाद खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में जब हस्तगत प्रकरण मे मूल वाद का निस्तारण अंतिम रूप से हो चुका है। उपरोक्त तथ्य के प्रकटीकरण की रोशनी में हस्तगत अपील स्वतः सारहीन/निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो। (उम्मेद सिंह रतनू) राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	